अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

Exp - 30.7.13

आदेश पत्रक

भूमि विवाद वाद संख्या 102 सन् 2013 - 14

श्री राम चन्द्र मंडल बनाम श्री राम विलास मण्डल

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	श्री राम-चन्द्र मंडल पे० - स्व० कारी मंडल सा० बाड़ा थाना बहेड़ी जिला- दरभंगा का वाद- पत्र वकालतनामा के साथ प्राप्त हुआ है। वाद- पत्र में वर्णित तथ्यों तथा विद्वान अधिवक्ता को सुनने से यह ज्ञात होता है कि निम्न वर्णित भूमि जो वादी के दखल- कब्जा में है उस भूमि पर रिपक्षीगण जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा है। निम्न वर्णित भूमि वादी को भूमि का विवरणी मौजा: बहेड़ी; थाना: बहेड़ी; खाता नं०: 388; खेसरा नं०: 7090; रकबा: 1 क० 12 धूर 8 कनमा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में वाद को प्रतिग्रहित किया जाता है। रिपक्षी को सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 14.05.13 को रखें। लेखापित। (ह०) भू० उप०स० (ह०) भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता सदर, दरभंगा।	24-5-13 6-6-13. 14-6-13. 24/06/13 4-7-13 15/07/13 24/07/13 4-8-13

14-5-13. वादी की हाजरी है।
प्रतिवादी [illegible]
[illegible]

24-5-13. वादी की हाजरी
प्रतिवादी की हाजरी
[illegible]

6-6-13. वादी की हाजरी
प्रतिवादी वकालतनामा हाजरी है।
14/06

14/06/13 वादी की हाजरी
प्रतिवादी की हाजरी है।

अभिलेख दि० 24/06/13 को रखें।

24-6-13 वादी की हाजरी नहीं है।
प्रतिवादी की हाजरी नहीं है।

~~प्रतिवादी~~
पुनः दिनांक 04/07/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाँई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
04/07/13	वादी की हाजरी नहीं है विपक्षी की हाजरी नहीं है। अभिलेख दिनांक 15/07/13 ह० 04/07/13 ज्यू० मु० कु० समा०	
15/07/13	वादी की हाजरी नहीं है। विपक्षी की हाजरी नहीं है। अभिलेख दिनांक 24/07/13 ह० 15/07/13 ज्यू० मु० कु० समा०	
24/7/13	वादी की हाजरी नहीं है विपक्षी की हाजरी नहीं है। उभयपक्ष दिनांक 24.6.13 से लगातार अनुपस्थित हैं। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उभयपक्ष को इस वाद में अभिरुचि नहीं है। अंतिम रूप से दिनांक 4.8.13 को रखें। ह० 24/07/13 उ० प्र० अ०	

05/08/13 वादी की हाजरी नहीं है
विपक्षी की हाजरी नहीं है

उभयपक्ष वाद प्रारम्भ होने के पश्चात से लगातार अनुपालन चल रहे। पूर्व में दिये गये आदेश के बाद भी वादी/विपक्षी अनुपस्थित हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष को वाद के संचालन में कोई अभिरुचि नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित
05/08/13
भू० सु० उप समा०

05/08/13
उ० दि० उप० समा०